फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सुरेश) बनाम दीपचन्द

केस संख्या 23/24 दावा

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 21/5/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। वादी-उप.। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 व 7 बावजूद तामील आज भी अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते रजवाब जवाब-दावा हेतु दिनांक 24/04/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |
| | 24/5/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। प्रतिवादी अधिवक्ता 2, 4 श्री एस. जे. गिरि ने जाहिर किया की वाद बंटवारे का है परन्तु पक्षकारान का नाम जमाबंदी में नहीं है अतः दावा खारिज किया जावे। पत्रावली में संज्ञान लेते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम जमाबंदी (संलग्न) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण खातेदार कृषक नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 में स्पष्ट उल्लेख है कि हाल जमाबंदी में खातेदार/काश्तकार का अंकन होना आवश्यक है तथा बटवारे का वाद सह-खातेदारों के मध्य ही संधारण योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र में अंकन किया है वादीगण व प्रतिवादीगण का नामान्तकरण नहीं खुला है। इसके संबंध में स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी ने अपने वाद में इससे संबंधित कोई घोषणा नहीं [illegible] है। तथा दौराने वाद इसको [illegible] करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया नहीं [illegible] जाहिर होता है कि वादी ने वाद स्वच्छ [illegible] से प्रस्तुत नहीं किया है जो कि धारा-151 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है जिसके संबंध में Rajasthan high court 2008(3) WLC Page 8264 चस्पा होता है। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:32 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द अहकाम

# न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

3८२ / १५७५

केस संख्या : 23/2014

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष |
|---|---|---|---|
| | | आ० उपरोक्त परिस्थिति में वादी का वाद विधि से बाधित (Barred by law) होने के कारण पोषणीय (maintainable) नहीं है। अतः आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में वाद वादी खारिज किया जाता है। वादीगण नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |
| | | [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:32 IST
Reason: SelfAttested